न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र सं. 18/2021

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, आबूरोड जिला सिरोही।।

बनाम

अप्रार्थी

श्रीमती शान्ति पत्नि श्री सरदार जाति राजपूत निवासी तरतोली तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज. भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थिति :–

1. पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार, सिरोही)

निर्णय

दिनांक 28.03.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह आवेदन पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया गया कि मौजा मुदरला, पटवार मण्डल आमथला, तह. आबूरोड(वर्तमान देलदर) जिला सिरोही के खसरा नं. 735/304 रकबा 0.10 बीघा किस्म नहरी–1 भूमि उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत के आदेश दिनांक 19.06.1978 एवं 20.06.1978 द्वारा अप्रार्थी श्रीमती शान्ति पत्नि श्री सरदार को आवंटन की गई थी जिसका नामान्तरकरण तहसीलदार आबूरोड द्वारा दिनांक 06.09.1978 को अप्रार्थी श्रीमती शान्ति पत्नि श्री सरदार के नाम से दर्ज कर स्वीकृत किया गया है, जिसे निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश किया । प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया ।

अप्रार्थी ग्राम तरतोली में निवासरत नहीं होने से को इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस अदम तामिल प्राप्त हुआ, जिससे प्रार्थी तहसीलदार आबूरोड को अप्रार्थी का सही पता प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया, जिस पर प्रार्थी तहसीलदार आबूरोड द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/राजस्व/विधिक वारिसान/2022/346 दिनांक 11.04.2022 के द्वारा यह व्यक्त किया गया कि अप्रार्थी श्रीमती शान्ति पत्नि श्री सरदार नाम से कोई भी महिला ग्राम तरतोली में निवासरत नहीं है, जिस पर अप्रार्थी श्रीमती शान्ति पत्नि श्री सरदार का नोटिस स्थानीय दैनिक अखबार राजस्थान पत्रिका के पाली [illegible] के पृष्ठ [illegible] दिनांक 11.08.2022 को प्रकाशित करवाया गया। उक्त प्रकाशन की 30 दिन [illegible] अवधि [illegible] पश्चात भी अप्रार्थी की ओर से किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति [illegible] जवाब हेतु कई अवसर प्रदान किए जा चुके थे। अतः इनका जवाब [illegible] बन्द किया गया एवं न ही [illegible] द्वारा बहस हेतु नियत तिथि पर किसी भी प्रकार की [illegible] उपस्थिति दी गई। अतः [illegible] अनुपस्थित होने से उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:24:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित खसरा नं. 735/304 रकबा 0.10 बीघा किस्म नहरी–1 भूमि का आवंटन अप्रार्थी श्रीमती शान्ति पत्नि श्री सरदार को करने में आवंटन कमेटी द्वारा भारी एवं कानूनी भूल की है । आवंटन कमेटी द्वारा विवादित भूमि गैर खातेदारी पर दस वर्ष के लिए आवंटन की है । अप्रार्थी सद्भावी काश्तकार नहीं था। आवंटित भूमि पर उसका कब्जा नही है एवं काश्त भी नहीं की है, एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किया जावे ।

प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि मौजा मुदरला, पटवार मण्डल आमथला, तह. आबूरोड(वर्तमान देलदर) जिला सिरोही के खसरा नं. 735/304 रकबा 0.10 बीघा किस्म नहरी–1 भूमि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश दिनांक 19.06.1978 व 20.06.1978 द्वारा अप्रार्थी श्रीमती शान्ति पत्नि श्री सरदार को आवंटन की गई थी जिसका नामान्तरकरण तहसीलदार आबूरोड द्वारा दिनांक 06.09.1978 को अप्रार्थी श्रीमती शान्ति पत्नि श्री सरदार के नाम से दर्ज कर स्वीकृत किया गया। यह है कि पटवारी हल्का आमथला से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 18.12.2019 के अनुसार उक्त आंवटित आराजी पर अप्रार्थी श्रीमती शान्ति पत्नि श्री सरदार का आवंटन तिथि से आज तक कब्जा नहीं है एवं मौके पर भूमि खाली पडी है। यह है कि अप्रार्थी के नाम राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन शर्तो की पालना नही करने पर आवंटन निरस्त करने का नियमो में प्रावधान है। विचारणीय प्रकरण में लम्बे समय से अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर काश्त कर कब्जा नही किया है, नियम 14 (3) के तहत उसे प्रथम वर्ष 50 प्रतिशत भाग एवं शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में काश्त की जानी चाहिए थी । उसके पश्चात आवेदन करने पर कालावधि तहसीलदार द्वारा 1 वर्ष के लिए बढाई जा सकती है। विचारणीय प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा कब्जा कर काश्त किया जाना नही पाया जाता है। यह तथ्य पटवारी हल्का द्वारा की गई मौका रिपोर्ट अनुसार स्पष्ट प्रतीत होता है कि मौके पर कब्जा नही है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी को किसी तरह की कोई राहत दी जाना विधि संगत नही होगा ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा मुदरला पटवार मण्डल आमथला, तह. आबूरोड(वर्तमान देलदर) जिला सिरोही के खसरा नं. 735/304 रकबा 0.10 बीघा किस्म नहरी–1 भूमि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश दिनांक 19.06.1978 व 20.06.1978 द्वारा अप्रार्थी को आवंटन की गई है, उसे निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:24:03 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner